सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 1973/श्रावण 5, 1895
2] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1973/SRAVANA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ahmedabad, the 21st July 1973

No. ACQ.23-1-4/16-6/72-73.—Whereas, I, J. Kathuria, being the competent uthority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason › believe that the immovable property, having a fair market value exceeding .s. 25,000 and bearing No. 1236, situated at Station Plot Street No. 2, Bhakti agar, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been ·ansferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 908) in the office of the registering officer at Rajkot on 23rd January, 1973 for an pparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid roperty and I have reason to believe that the fair market value of the property s aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per ent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as reed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated ı the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the foresaid property in terms of Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Arunkumar Damodar Lakhani, Shri Vipin Chandra Damodar Lakhani, Divanpara Street No. 4, Rajkot—(*Transferor*).

(2) Shri Pragji Ranchhodbhai, 12-B Bhaktinagar Plot, Rajkot—(*Transferee*).

(1) Proprietor(s)

Super Sonik Industries, Rajkot—(*Person in occupation of the property*).

(2) Proprietors(s)

Super Sales Corporation, Rajkot.

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby notified that the date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objections and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 1236 Situated at Station Plot Street No. 2. Bhaktinagar, Rajkot—245.6 Sq. Yds.

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन-रेंज I कार्यालय, अहमदाबाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

अहमदाबाद, 21 जुलाई, 1973

सं० ए० सी० क्यु० 23-1-4/16-6/72-73.—यत: मुझे जे० कथुरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 1236 है, जो स्टेशन प्लोट स्ट्रीट नं० 2, भक्तीनगर, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-1-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था/या किया जाना चाहिए था,

छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अरुण कुमार दामोदर लाखाणी विपिन चंद्र दामोदर लाखाणी दिवानयश स्ट्रीट नं० 4, राजकोट (अन्तरक)

2. श्री प्रागजी रणछोड़ भाई, 12-बि भक्तीनगर, स्टेशन प्लोट, राजकोट। (अन्तरिती)

3. श्री प्रो सुपर सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट प्रो सुपर सोनिक सेल्स कोर्पोरेशन, राजकोट (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधियां तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएं और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नं० 1236 स्टेशन प्लोट स्ट्रीट नं० 2

भक्ती नगर राजकोट, 245.6 चो० गज

No. ACQ 23-I/5/16-6/72-73.—Whereas, I, J. Kathuria, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 12 situated at Palace Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Rajkot on 22nd January, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s Pradyuman Development Corporation, Hazur Palace, Rajkot—(*Transferor*).

(2) Naranbhai Popat Mandli, Naran Nivas, 3, Jaynath Plot, Rajkot—(*Transferee*).

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby notified that the date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objections and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 12, Openland of 253.8.6 Sq. Yds. at Palace Road,—Rajkot.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Dated 21st July, 1973.
(Seal)

सं० ए० सी० क्यू० 23-1-5/16-6/72-73.—यतः मुझे जे० कथुरिया, ...आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लोट नं० 12 है, जो पैलेस रोड राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-1-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० प्रद्युमन डेवलपमेंट कोर्पोरेशन हजुर पैलेस राजकोट (अन्तरक)

2. श्री नारण भाई पोपट माडली नारण निवास, 3 जगनाथ प्लोट राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 12 खुली जमीन 253.8.6 वर्ग० गज पेलेस रोड राजकोट।

जे० कथुरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज अहमदाबाद।

तारीख : 21 जुलाई 1973
(मोहर) :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973